29/8/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई उपरोक्त दावा वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया

GCMS 2014/00257

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.03 17:28:52 IST
Reason: SelfAttested

## न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 238/2014 GCMS:- 2014/00257 दायर दिनांक : 09.12.2014

1. मु. पार्वती पुत्री श्री चानणराम पत्नी दलीपराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं. 3 नई खुंजा हनुमानगढ़ ज. तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज)
2. मु. रामप्यारी पुत्री श्री चानणराम पत्नी श्री दयाराम जाति कुम्हार निवासी ताखर कॉलोनी हनुमानगढ़ ज. तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज)

......वादीगण

**बनाम**

1. चानणराम पुत्र श्री लच्छूराम जाति कुम्हार निवासी चक 24 पी.बी.एन.सी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज) (फौत) जरिये वारिसानः–
   1/1. कानाराम }
   1/2. रामप्रताप } पिसरान चानणराम अकवाम कुम्हार निवासी चक 24 पी.बी.एन.सी. पो.ओ. संघर
   1/3. हेतराम } तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. जैता पुत्री श्री चानणराम धर्मपत्नी श्री सोहनलाल जाति कुम्हार निवासी कलरखेड़ा तहसील अबोहर पंजाब।
3. संतरो पुत्री श्री चानणराम धर्मपत्नी श्री रतीराम जाति कुम्हार निवासी चक संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. गुरदयाल }
5. बीरबल } पुत्रगण श्री लच्छूराम अकवाम कुम्हार निवासी चक 24 पी.बी.एन.सी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. रूपराम }
7. लालूराम } पुत्रगण श्री खीयांराम अकवाम कुम्हार निवासी चक 24 पी.बी.एन.सी. तहसील पीलीबंगा
8. रतीराम } जिला हुनमानगढ़।
9. व्यवस्थापक पंजाब नैशनल बैंक शाखा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
11. उपपंजीयक साहब, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

..........प्रतिवादीगण

**<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 एवं 209</u>**

**<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>**

उपस्थितः

1. श्री भगवानदत्त शर्मा, अभिभाषक वादीगण
2. श्री सुरेन्द्र सुथार, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1/2 ता 1/3, 4 व 5, 7
3. श्री राजवीर भादू, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1/1
4. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.03 17:28:52 IST
Reason: Self Attested

**निर्णय** **दिनांक : 29.08.2025**

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश होकर पक्षकार वादीगण कि ओर से अभिभाषक उपस्थित प्रतिवादी सं. 1/1 ता 1/3 व 4, 5 व 7 के अभिभाषकगण

क्रमशः पेज 2 पर......

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

व पैरोकार राज उपस्थित, प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध दिनांक 22.01.2025 को इकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके है। प्रतिवादी सं. 3 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही के आदेश दिनांक 18.10.2019 को पारित हो चुके है, प्रतिवादी सं. 6 के विरूद्ध दिनांक 18.10.2019 को इकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हो चुके है, प्रतिवादी सं. 8 के विरूद्ध दिनांक 28.05.2015 को इकतरफा कार्यवाही के आदेश हुए, प्रतिवादी सं. 9 व 11 के विरूद्ध दिनांक 18.07.2023 को इकतरफा कार्यवाही के आदेश हो चुके है, शेष के अभिभाषकगण उपस्थित है। पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत होने पर पत्रावली का अवलोकन किया विचारण तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा एक वाद मूल वाद पत्र वास्ते घोषणा एवं खाता विभाजन का इस आश्य का पेश किया कि प्रतिवादी सं. 1 चानणराम के नाम से वाके चक 13 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ जमाबंदी सम्वत 2067 ता 70 के खाता सं. 53 नया 50 पुराना के प.न. 24/326 के कि.न. 16 ता 25 = 2.530 है. प.न. 24/327 के कि.न. 1 ता 25 = 6.325 है. कुल 8.855 है. नहरी मय खाला में से 4.427 है. में से 1/3 हिस्सा यानि 1.476 है. व चक 13 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2067 ता 70 के खाता सं. 35 नया 33 पुराना के प.न. 25/327 के कि.न. 19 ता 25 = 1.771 है. नहरी मय खाला में से 1/3 हिस्सा यानि 0.590 है. एवं चक 13 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2067 ता 70 के खाता सं. 77 नया 72 पुराना के प.न. 23/327 के कि.न. 1 ता 25 = 6.325 है. व प.न. 27/328 के कि.न. 1 ता 25 = 6.325 है. कुल 12.650 है. नहरी अ.क.बा. मय खाला मय रास्ता में से 1/3 हिस्सा यानि 4.216 है. एवं चक 14 एस.टी.बी.बी. तहसील सूरतगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता सं. 18 नया 16 पुराना के कि.न. 33/320 के कि.न. 16 ता 18/0.759 है. 19/1 में 0.084 है., 21 ता 25/1.265 है. = 2.108 है. नहरी मय खाला, अर्थात उक्त चारों खातों में चानणराम के नाम अंकित कुल 8.390 है. भूमि दर्ज कागजात राज है। उक्त भूमि में से जमाबंदी चक 13 एस.टी.बी. सम्वत 2067 ता 70 खाता सं. 53/50 में 8.855 है. नहरी भूमि में 4.427 है. में से 1/3 हिस्सा अर्थात 1.476 है. भूमि प्रत्यक्षतः चानणराम को अपने पिता से बतौर वारिस हिन्दु सहदायी सदस्य होने के कारण प्राप्त हुई है शेष भूमि इस सहदायी सम्पत्ति की आय व पैतृक भूमि के विक्रय से ही खरीद की गई है। वादी एवं प्रतिवादी का परिवार हिन्दु सहदायीकि की मिताश्ररा विधि से अधिशासित होते है जिसमें वादीगण प्रत्येक 1/8 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है यह सहदायी सम्पत्ति कुल 8.390 है. है जिसमें वादीगण का 2/8 हिस्सा बहिस्सा बराबर का हक वा हिस्सा बनता है जिसकी घोषणा एवं खाता विभाजन का वाद वादीगण द्वारा प्रस्तुत कर निवदेन किया कि उक्त भूमि [illegible] 2 व 3 में अंकित है कुल भूमि चानणराम पुत्र श्री लच्छूराम के [illegible]सानुसार खातेदारी अंकित है इस भूमि में जमाबंदी चक [illegible] सूरतगढ़ सम्वत् 2067 ता 70 के खाता सं. 53 नया 50 पुराना में लच्छूराम के [illegible] 4.427 है. भूमि बतौर खातेदार प.न. 24/326, 24/327 में कुल 8.[illegible]5 है. भूमि में उक्त 4.427 है. भूमि

क्रमशः पेज 3 पर.....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.03 17:28:52 IST
Reason: SelfAttested

लच्छूराम के नाम बतौर खातेदारी अंकित थी बाद मृत्यु लच्छूराम यह भूमि बीरबल, चानणराम, गुरदयाल पि. लच्छूराम प्रत्येक 1/3 हिस्सा दर्ज कागजात हुई यह भूमि लच्छूराम के नाम से होने से वारिसों को बतौर सहदायी सदस्य प्राप्त हुई, चानणराम को उपरोक्त भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि का प्राप्त हुआ जो 1.475 है. खातेदारी थी जो पैतृक सहदायी भूमि है वादीगण जन्म से ही हकानुसार बतौर सहदायी सदस्य उक्त भूमि में हिस्सा रखते है इसी भूमि की आय से चक 13 एस.टी.बी. जमाबंदी सम्वत 2067 ता 70 खाता सं. 35/33 में अंकित प.न. 25/327 की 1.7710 है. में 1/3 हिस्सा व चक 14 एस.टी.बी.बी. जमाबंदी सम्वत 2070 ता 73 खाता सं. 18/16 के प.न. 33/320 की 2.1080 है. भूमि नहरी व चक 13 एस.टी.बी. के खाता सं. 70/72 जमाबंदी सम्वत 2067 ता 70 के प.न. 23/327, 27/327 की 12.650 है. भूमि में 1/3 हिस्सा की भूमि चानणराम द्वारा सहदायी सम्पत्ति की आय से खरीदी गई है इस प्रकार उपरोक्त जमाबंदी अनुसार चानणराम के धारण में कुल 1.476 है., 0.590 है., 4.216 है., 2.108 है. कुल 8.390 है. भूमि सहदायी बनती है वादीगण उसकी पुत्रियॉ है व चानणराम के परिवार के सहदायी सदस्य है, परिवार में चानणराम सहित कुल 8 सदस्य है प्रत्येक का 1/8 हिस्सा ब.हि.ब. बनता है वादीगण ने उक्त भूमि में 2/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता विभाजन का अनुतोष चाहा। वाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को तलब किया गया। श्री सुरेन्द्र सुथार, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1/2 ता 1/3, 4 व 5, 7 व श्री राजवीर भादू, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1/1 कि ओर से उपस्थित आये, शेष प्रतिवादीगण राज पक्ष के अतिरिक्त उपस्थित ना आने से इकतरफा के आदेश पारित हुए। उपस्थित प्रतिवादीगण ने बार बार मौका देने के बावजूद जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया उनका जवाबदावा बंद किया गया। वाद चलन के दौरान चानणराम के फौत होने पर उनके वारिसान को जो पूर्व में ही पक्षकार थे चानणराम की मृत्यु दर्ज कर संशोधित शीर्षक लिया गया व निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि चक 13 एस.टी.बी. जमाबंदी सम्वत 2067 ता 70 खाता सं. 53 नया 50 पुराना के प.न. 24/326 कि.न. 16 ता 25 = 2.530 है. व प.न. 24/327 का कि.न. 1 ता 25 की कुल 6.325 है. कुल 8.853 है. में 4.427 है. में से 1/3 = 1.476 है. नहरी मय खाला भूमि चानणराम पुत्र लच्छू को पैतृक प्राप्त भूमि है व हिन्दु सहदायी सम्पत्ति है ?

.....वादी

2. आया की चक 13 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ जमाबंदी सम्वत 2067 ता 70 के खाता सं. 35 नया 33 पुराना प.न. 25/327 कि.न. 19 ता 25 = 1.771 है. नहरी में 1/3 यानि 0.590 है. व 13 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ जमाबंदी सम्वत 2067 ता 70 के खाता सं. 77 नया 72 पुराना प.न. 23/327 का कि.न. 1 ता 25 = 6.325 है. प.न. 27/328 का कि.न. 1 ता 25 = 6.325 है. कुल 12.650 है. नहरी बारानी मय खाला में 1/3

क्रमशः पेज 4 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jat
Date: 2025.09.03 17:28:52 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा यानि 4.216 है. व 14 एस.टी.बी. सूरतगढ़ सम्वत 2070 ता 73 खाता सं. 18 नया पुराना 16 प.न. 33/320 का कि.न. 16 ता 18 में 10.759 है. 19/1 में 0.084 है. कि.न. 21 ता 25 में 1.265 है. = 2.108 है. हिन्दु खानदान मुश्तरका में रहते खरीद भूमि हिन्दु खानदान सहदायी की सम्पत्ति है ?

..........वादी

3. आया वादीगण बतौर पुत्री सहदायी सदस्य परिवार होने से उपरोक्त भूमि में हिस्सानुसार प्रत्येक 1/8, 1/8 बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित होने के पात्र है?

.........वादी

4. आया वादीगण उपरोक्त भूमि में अपने नाम घोषित होने योग्य हिस्सा 2/8 बहिस्सा बराबर के अर्थात 2.0975 है. के हिस्सा बराबर खातेदार के घोषित होने के पात्र है?

.........वादी

5. आया वादीगण बाद घोषणा उपरोक्त में अपने हिस्से हेतू कुल खाता विभाजन करवाकर अलग खाता कायम करवाकर उसी अनुसार कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है?

.........वादी

6. आया उपरोक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति है। सहदायी परिवार के सदस्य वादीगण ना होने से प्रतिवादी सं. 1 की भूमि में अपना हक नहीं रखते व घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है?

.........प्रतिवादी

7. आया स्वअर्जित सम्पत्ति में वारिसों का कोई अधिकार नहीं है?

.........प्रतिवादी

8. अन्य अनुतोष

तनकीयात कायम किये जाने के पश्चाता वादी की ओर से रामप्यारी के शपथ पत्र पर बयान हुए प्रतिवादीगण की ओर से किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ व ना ही जवाबदावा आया प्रदर्श वादीया द्वारा जमाबंदी पर प्रदर्श 1 ता 4 अंकित करवाये गये, वादीया ने शपथ पत्र से वाद की पुष्टी में मय साक्ष्य वाद स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई।

प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुए ना ही उनका जवाबदावा आया बाद प्रस्तुति साक्ष्य वादी उपस्थित प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत ना करने [illegible]

अभिभाषक वादीगण द्वारा [illegible] पत्र [illegible] कथनों को दोहराते हुए संलग्न दस्तावेजी [illegible] वा वाद कथन की पुष्टि साक्ष्य से बताते हुए [illegible] 13 एस.टी.बी. जमाबंदी सम्वत 2067 ता 70 खाता सं. 53 नया 5[illegible] पुराना के प.न. 24/326

क्रमशः पेज 5 पर.....

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.03 17:28:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

कि.न. 16 ता 25 = 2.530 है. व प.न. 24/327 का कि.न. 1 ता 25 की कुल 6.325 है. कुल 8.853 है. में चानणराम के पिता लच्छूराम के नाम 4.427 है. भूमि खातेदारी का अंकन होने व विरास्तन उक्त लच्छूराम की भूमि में चानणराम के नाम 1.476 है. भूमि खातेदारी आने से इस भूमि को पैतृक मानकर इस भूमि से खरीदी गई शेष भूमि भी जो पैतृक भूमि को मिलाते हुए 8.390 है. भूमि चानणराम की सहदायी परिवार की सम्पत्ति मानते हुए क्योकि 1.476 है. भूमि की आये से ही शेष भूमि चानणराम के नाम से उपरोक्त पैतृक भूमि की आय से खरीदी जाने के कारण कुल सम्पत्ति जो चानणराम के नाम से वाद दायरी की दिनांक को 8.390 है. बनती है में वादीगण प्रत्येक का 1/8 हिस्सा अर्थात वादीगण का 2/8 हिस्सा का बराबर का हक वादीगण का वाद दायरी की दिनांक को बताया साथ ही मूल अंकित काश्तकार की मृत्यु होने से अब सहदायी सदस्य 7 होने से उक्त भूमि में अपना 2/7 हिस्सा का हक बतौर खातेदार घोषित करने की प्रार्थना की व खाता विभाजन का अनुतोष भी चाहा।

वादीगण द्वारा सहदायी सदस्य होने के पुष्टि हेतू माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का निर्णय प्रकाशित आर.बी.जे. 2018 का पेज 725 एवं सहदायी की सम्पत्ति में वृद्धि भी सहदायी सम्पत्ति होने के सम्बंध में चन्द्रनाथ झा हिन्दु विधि विश्लेषण धारा 6 पेज 388 बिन्दु सं. 29 प्रस्तुत की व वाद की पुष्टि बताते हुए वाद स्वीकार करने की प्रार्थना की, साथ ही निवेदन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा ना तो कोई जवाब दिया गया है ना ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है इसलिए वाद स्वयं पुष्ट हो जाता है इसे स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा तर्को का खण्डन करते हुए तर्क दिया कि चानणराम की मृत्यु हो चुकी है और जमाबंदीयों में चानणराम का नाम परिवर्तित कर वसीयत के आधार पर प्रतिवादीगण का नाम वादीगण को छोड़ते हुए पुत्रो का नाम अंकित कर दिया गया है, वादीया वर्तमान में किसी प्रकार का अनुतोष पाने के हकदार नहीं है मात्र 1.476 है. के अतिरिक्त शेष भूमि पैतृक नहीं है इसलिए वाद वादीया निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

तर्क सुनने के पश्चात तर्को के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया व प्रस्तुत न्याय निर्णय व सिद्धांत हिन्दु विधि का पठन व मनन करने के पश्चात तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से हैः—

**<u>तनकी सं. 1:—</u>** आया कि चक 13 एस.टी.बी. जमाबंदी सम्वत 2067 ता 70 तहसील सूरतगढ़ खाता सं. 53 नया 50 [illegible] के प.न. 24/326 कि.न. 16 ता 25 = 2.530 है. व प.न. 24[illegible] कि.न. 1 ता 25 की कुल 6.325 है. कुल 8.853 है. में 4.427 है. [illegible] = 1.476 है. नहरी मय

क्रमशः पेज 6 पर.....

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.03 17:28:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

खाला भूमि चानणराम पुत्र लच्छू को पैतृक प्राप्त भूमि है व हिन्दु सहदायी सम्पत्ति है?

.....वादी

उपरोक्त तनकी का भार वादी पर था वादीगण ने इस तनकी को पुष्ट करने के लिए चक 13 एस.टी.बी. जमाबंदी सम्वत 2067 ता 70 तहसील सूरतगढ़ खाता सं. 53 नया 50 पुराना के प.न. 24/326 कि.न. 16 ता 25 = 2.530 है. व प.न. 24/327 का कि.न. 1 ता 25 की कुल 6.325 है. कुल 8.853 है. में 4.427 है. में से 1/3 = 1.476 है. नहरी मय खाला भूमि चानणराम पुत्र लच्छू को पैतृक प्राप्त भूमि है यह जमाबंदी से साबित होना पुष्ट होता है स्व्यं प्रतिवादी द्वारा भी इसे पैतृक होना स्वीकार किया गया है वादिया पुत्री होने से उक्त भूमि में सन 2005 के संशोधन के परिणामस्वरूप उक्त भूमि में बतौर सहदायी सदस्य हक प्राप्त करने के अधिकारिणी है चानणराम प्रतिवादी का निधन होने के कारण सहदायी सदस्य सात रह गये है इसलिए इस जमाबंदी में अंकित 1.476 है. वादीगण 2/7 के खातेदार बतौर सहदायी सदस्य घोषित होने के पात्र है। तनकी सं. 1 पूर्णरूपेण संदेह से परे सिद्ध होने से बहक वादी निर्णय की जाती है।

<u>तनकी सं. 2:–</u> आया की चक 13 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ जमाबंदी सम्वत 2067 ता 70 के खाता सं. 35 नया 33 पुराना प.न. 25/327 कि. न. 19 ता 25 = 1.771 है. नहरी में 1/3 यानि 0.590 है. व 13 एस.टी. बी. तहसील सूरतगढ़ जमाबंदी सम्वत 2067 ता 70 खाता सं. 77 नया 72 पुराना प.न. 23/327 का कि.न. 1 ता 25 = 6.325 है. प.न. 27/328 का कि.न. 1 ता 25 = 6.325 है. कुल 12.650 है. नहरी बारानी मय खाला में 1/3 हिस्सा यानि 4.216 है. व 14 एस.टी.बी. सूरतगढ़ सम्वत 2070 ता 73 खाता सं. 18 नया पुराना 16 प.न. 33/320 का कि.न. 16 ता 18 में 10.759 है. 19/1 में 0.084 है. कि.न. 21 ता 25 में 1.265 है. = 2.108 है. हिन्दु खानदान मुश्तरका में रहते खरीद भूमि हिन्दु खानदान सहदायी की सम्पत्ति है ?

.....वादी

इस तनकी सं. 2 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था वादीगण ने अपने शपथ पत्र के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे इस धारा में अंकित भूमि सहदायी भूमि पैतृक आय से प्रश्नगत भूमि खरीद किया जाना सिद्ध हो यह सही है कि पैतृक सम्पत्ति की आय से खरीद शुदा भूमि सहदायी सम्पत्ति मानी जाती है किन्तु खरीदशुदा भूमि पैतृक आय से खरीद की गई है यह अपने शपथ पत्र के अलावा अन्य किसी साक्ष्य से वादी द्वारा पुष्ट नहीं किया गया है यह तनकी संदेह से परे साबित न होने के कारण खिलाफ वादीगण निर्णय की जाती है।

क्रमशः पेज 7 पर....

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.03 16:28:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

**तनकी सं. 3:–** आया वादीगण बतौर पुत्री सहदायी सदस्य परिवार होने से उपरोक्त भूमि में हिस्सानुसार प्रत्येक 1/8, 1/8 बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित होने के पात्र है?

.........वादी

इस तनकी का भार वादीगण पर था तनकी सं. 1 में अंकित भूमि के अलावा शेष भूमि सहदायी संदेह से परे सिद्ध नहीं हुई है तनकी सं. 1 की भूमि जो 1.476 है. भूमि है उसे सहदायी मानते हुए मूल अंकित काश्तकार जो इस भूमि में 1/8 हिस्से का हकदार था की मृत्यु होने से सहदायी सदस्य सात रह गये वादीगण 1.476 है. भूमि में प्रत्येक 1/7, 1/7 अर्थात 2/7 हिस्सा के खातेदार कृषक घोषित होने के पात्र है। इसी अनुसार इस तनकी को आंशिक रूप से बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

**तनकी सं. 4:–** आया वादीगण उपरोक्त भूमि में अपने नाम घोषित होने योग्य हिस्सा 2/8 बहिस्सा बराबर के अर्थात 2.0975 है. के हिस्सा बराबर खातेदार के घोषित होने के पात्र है?

.........वादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था, इसका सम्बंध तनकी सं. 3 से है जिसे पूर्व में 1.476 है. नहरी भूमि तक वादीगण को 2/7 हिस्सा ब.हि.ब. का खातेदार घोषित होने का पात्र मान लिया गया है इसी अनुसार आंशिक तनकी बहक वादी निर्णय की जाती है।

**तनकी सं. 5:–** आया वादीगण बाद घोषणा उपरोक्त में अपने हिस्से हेतू कुल खाता विभाजन करवाकर अलग खाता कायम करवाकर उसी अनुसार कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है?

.........वादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था, इस तनकी का सम्बंध तनकी सं. 1, 3 व 4 पर आधारित है जिसे आंशिक स्वीकार कर वादीगण को चक 13 एस.टी.बी. जमाबंदी संम्वत 2067 ता 70 तहसील सूरतगढ़ खाता सं. 53 नया 50 पुराना के प.न. 24/326 कि.न. 16 ता 25 = 2.530 है. व प.न. 24/327 का कि.न. 1 ता 25 की कुल 6.325 है. कुल 8.853 है. में 4.427 है. में से 1/3 = 1.476 है. नहरी मय खाला भूमि जो चानणराम की पैतृक 1.476 है. भूमि है में वादीगण को 2/7 हिस्सा ब.हि.ब. का बतौर सहदायी [illegible] खातेदार कृषक घोषित होने का पात्र मान लिया गया है इसी अनुसार वादीगण उक्त खाता विभाजन करवाकर अलग खाता कायम करने के पात्र स्वीकार किया जाता है इसी अनुसार इस तनकी को आंशिक रूप से बहक वादीगण स्वीकार की जाती है।

क्रमशः पेज 8 पर......

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.03 17:28:52 IST
Reason: SelfAttested

**तनकी स. 6:—** आया उपरोक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति है। सहदायी परिवार के सदस्य वादीगण ना होने से प्रतिवादी सं. 1 की भूमि में अपना हक नहीं रखते व घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है?

.........प्रतिवादी

इस तनकी को सिद्ध करने के लिए प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया किन्तु तनकी सं. 1 की सम्पत्ति के अलावा शेष कृषि भूमि सहदायी आय से खरीदी गई है यह भी वादीगण संदेह से परे सिद्ध नहीं कर पाया चुंकि वाद को संदेह से परे सिद्ध करने का भार वादीगण का था प्रतिवादी की कमी से वादीगण को लाभ नहीं दिया जा सकता तनकी सं. 1 की सम्पत्ति के अलावा शेष कृषि भूमि सहदायी परिवार की इस अवस्था में माना जाना सम्भव नहीं है, इसी आधार पर इस तनकी को उपरोक्त विवेचनानुसार निर्णय किया जाता है।

**तनकी सं. 7:—** आया स्वअर्जित सम्पत्ति में वारिसों का कोई अधिकार नहीं है?

.........प्रतिवादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था, उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिए खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादीगण को चक 13 एस.टी.बी. जमाबंदी सम्वत 2067 ता 70 तहसील सूरतगढ़ खाता सं. 53 नया 50 पुराना के प.न. 24/326 कि.न. 16 ता 25 = 2.530 है. व प.न. 24/327 का कि.न. 1 ता 25 की कुल 6.325 है. कुल 8.853 है. में 4.427 है. में से 1/3 = 1.476 है. नहरी मय खाला भूमि जो चानणराम के नाम से अंकित है में वादीगण मु. पार्वती पुत्री श्री चानणराम पत्नी दलीपराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं. 3 नई खुंजा हनुमानगढ़ ज. तहसील व जिला हनुमानगढ़ व मु. रामप्यारी पुत्री श्री चानणराम पत्नी श्री दयाराम जाति कुम्हार निवासी ताखर कॉलोनी हनुमानगढ़ ज. तहसील व जिला हनुमानगढ़ को उक्त भूमि हेतू सहदायी सदस्य मानते हुए प्रत्येक को 1/7, 1/7 हिस्सा अर्थात 2/7 हिस्सा ब. हि.ब. का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है इसी अनुसार वर्तमान जमाबंदी में उक्त भूमि हेतू बनी जमाबंदी सम्वत 2067 ता 70 के बाद के अंकन को अप्रभावी मानते हुए वादीगण को वर्तमान जमाबंदी में उक्त भूमि में घोषणानुसार 2/7 हिस्सा ब.हि.ब. का खातेदार कृषक अंकित किया जाने का आदेश दिया जाता है [illegible] खाता विभाजित करने की स्वीकृति देते हुए वादीगण का अंकित [illegible] अंकित भूमि की सीमा तक खाता विभाजन का प्रस्ताव [illegible] हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ को दिये जाते है इसी अनुसार अलग से [illegible] जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.03 17:28:52 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः पेज 9 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया प्राथमिक डिक्री जारी हो पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो, विभाजन प्रस्ताव आने के पश्चात पक्षकार अंतिम डिक्री हेतू पत्रावली पुनः सुनवाई में लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें ताकि पत्रावली में अंतिम आदेश व डिक्री हेतू आगामी कार्यवाही की जा सके।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.03 17:28:52 IST
Reason: SelfAttested

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

## डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास – भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

---

अनवान :–

1. मु. पार्वती पुत्री श्री चानणराम पत्नी दलीपराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं. 3 नई खुंजा हनुमानगढ़ ज. तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज)
2. मु. रामप्यारी पुत्री श्री चानणराम पत्नी श्री दयाराम जाति कुम्हार निवासी ताखर कॉलोनी हनुमानगढ़ ज. तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज)

......वादीगण

**बनाम**

1. चानणराम पुत्र श्री लच्छूराम जाति कुम्हार निवासी चक 24 पी.बी.एन.सी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज) (फौत) जरिये वारिसानः–
   1/1. कानाराम
   1/2. रामप्रताप
   1/3. हेतराम
   } पिसरान चानणराम अकवाम कुम्हार निवासी चक 24 पी.बी.एन.सी. पो.ओ. संघर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. जैता पुत्री श्री चानणराम धर्मपत्नी श्री सोहनलाल जाति कुम्हार निवासी कलरखेड़ा तहसील अबोहर पंजाब।
3. संतरो पुत्री श्री चानणराम धर्मपत्नी श्री रतीराम जाति कुम्हार निवासी चक संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. गुरदयाल
5. बीरबल
   } पुत्रगण श्री लच्छूराम अकवाम कुम्हार निवासी चक 24 पी.बी.एन.सी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. रूपराम
7. लालूराम
8. रतीराम
   } पुत्रगण श्री खीयांराम अकवाम कुम्हार निवासी चक 24 पी.बी.एन.सी. तहसील पीलीबंगा जिला हुनमानगढ़।
9. व्यवस्थापक पंजाब नैशनल बैंक शाखा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
11. उपपंजीयक साहब, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

..........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 209 आर.टी.ए. मुकदमा न. 238 वर्ष 2014 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर वकील श्री भगवानदत्त शर्मा अभिभाषक वादीगण, श्री सुरेन्द्र सुथार अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1/2 ता 1/3, 4 व 5, 7, श्री राजवीर [illegible] अभिभाषक प्रतिवादी [illegible] व पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ के पेश होने पर हुक्म [illegible] है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.03 17:28:52 IST
Reason: SelfAttested

**वाद वादीगण आंशिक [illegible] स्वीकार [illegible]कर प्राथमिक आदेश के अनुरूप डिक्री जारी की जाती है कि [illegible] चक 13 एस.टी.बी. जमाबंदी सम्वत 2067 ता 70 तहसील सूरतगढ़ खाता सं. 53 नया 50 पुराना [illegible] न. 24/326 कि.न. 16 ता 25 = 2.530 है. व प.न. 24/327 का कि.न. 1 ता 25 की कुल 6.325 है. कुल 8.853 है. में 4.427 है. में से 1/3 = 1.476 है. नहरी मय खाला भूमि जो चानणराम के नाम से अंकित**

**क्रमशः पेज 2 पर......**

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

है में वादीगण मु. पार्वती पुत्री श्री चानणराम पत्नी दलीपराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं. 3 नई खुंजा हनुमानगढ़ ज. तहसील व जिला हनुमानगढ़ व मु. रामप्यारी पुत्री श्री चानणराम पत्नी श्री दयाराम जाति कुम्हार निवासी ताखर कॉलोनी हनुमानगढ़ ज. तहसील व जिला हनुमानगढ़ को उक्त भूमि हेतू सहदायी सदस्य मानते हुए प्रत्येक को 1/7, 1/7 हिस्सा अर्थात 2/7 हिस्सा ब.हि.ब. का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है इसी अनुसार वर्तमान जमाबंदी में उक्त भूमि हेतू बनी जमाबंदी सम्वत 2067 ता 70 के बाद के अंकन को अप्रभावी मानते हुए वादीगण को वर्तमान जमाबंदी में उक्त भूमि में घोषणानुसार 2/7 हिस्सा ब.हि.ब. का खातेदार कृषक अंकित किया जाने का आदेश दिया जाता है व उक्त खाता विभाजित करने की स्वीकृति देते हुए वादीगण का अंकित भूमि हेतू अंकित भूमि की सीमा तक खाता विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतू तहसीलदार सूरतगढ़ को दिये जाते है इसी अनुसार अलग से पत्र जारी हो।

नोज.....×..... मुबलिग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा .....×..... इस मुकदमें में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×..... आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 29.9.25 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.03 17:28:52 IST
Reason: SelfAttested